उत्तराखण्ड शासन
खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग
अनुभाग–2
संख्याः 447 /08–XIX-2/13 खाद्य/2008
देहरादून : दिनाँक : 22, अक्टूबर, 2008

अधिसूचना
प्रकीर्ण

चूँकि, राज्य सरकार की राय है कि चावल का सम्भरण बनाये रखने और उसका सामयिक वितरण और यथोचित मूल्यों पर, उसकी प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से राज्यपाल, सहर्ष एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश देते है:–

उत्तराखण्ड चावल मिल (नियंत्रण और उद्ग्रहण) आदेश, 2008

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चावल मिल (नियंत्रण और उद्ग्रहण) आदेश, 2008 है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा ।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश में–
(क) "सीमान्त क्षेत्र" से अन्तराष्ट्रीय सीमा से सटेत्र लगा हुआ पन्द्रह किलोमीटर का क्षेत्र अभिप्रेत है;
(ख) "नियन्त्रक" से सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक अभिप्रेत है और इसमें सम्भागीय विपणन अधिकारी या उप सम्भागीय विपणन अधिकारी भी सम्मिलित हैं,
(ग) "शुल्क पर कुटाई" से नकद या जिन्स में कुटाई प्रभार का भुगतान करने पर मिल वाले की चावल मिल में ऐसे धान की कुटाई अभिप्रेत है, जो उसकी न हो परन्तु राज्य सरकार की हो;
(घ) "प्रवर्तन अधिकारी" से आयुक्त, अपर आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त और मुख्य विपणन अधिकारी,

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, जिला मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, सम्भागीय विपणन अधिकारी, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, ज्येष्ठ पूर्ति निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक और अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर उप निरीक्षक के पद से अन्यून पुलिस अधिकारी और आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से सम्बद्ध उपनिरीक्षक के पद से अन्यून पुलिस अधिकारी और खाद्य विभाग के उडनदस्ते के उप निरीक्षक के पद से अन्यून पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "भारतीय खाद्य निगम" से खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (अधिनियम संख्या 37 वर्ष 1964) के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी एवम् सरकार के प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो इस आदेश के निमित्त कार्य में लगे हों;

(च) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,

(छ) "मिल वाला" से चावल मिल के स्वामी या अन्य प्रभारी व्यक्ति और उसके अर्न्तगत ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी अभिप्रेत है, जिसका ऐसी मिल के कार्यकलाप पर पूर्ण नियन्त्रण हो और जब ऐसे कार्यकलाप, प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक या अन्य प्रबन्ध अभिकर्ता को सौपे जाएं, तो उसके अर्न्तगत ऐसा प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता भी अभिप्रेत है;

(ज) "अधिसूचना" से सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचित मूल्य" से किसी किस्म के धान या चावल के सम्बन्ध में ऐसा मूल्य अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर अधिसूचित किया जाय ,

(ञ) "धान" से भूसी आवृत्त चावल अभिप्रेत है ,

(ट) "अनुज्ञा पत्र" से शुल्क पर धान की कुटाई का कार्य करने के लिए किसी मिल वाले को सम्भागीय खाद्य नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिया गया अनुज्ञा पत्र अभिप्रेत है ,

(ठ) "मोचन प्रमाण पत्र" से विपणन निरीक्षक द्वारा किसी मिल वाले को उसके द्वारा राज्य सरकार को अपेक्षित परिमाण में बेचे गये चावल/धान के प्रतीक स्वरूप

अनुसूची–एक में दिये गये प्रपत्र में स्वीकृत प्रमाण पत्र अभिप्रेत है। चावल मिल वाला, मोचन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र प्रभारी को उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत **अनुसूची–दो** में निर्दिष्ट प्ररूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा;

(ड) "चावल" से अरवा या सेला चावल अभिप्रेत है ;

(ढ) "चावल मिल" से वह संयंत्र और मशीनरी, जिससे, और परिसीमाओं सहित वह परिसर जिसमें या जिसके किसी भाग में, चावल कूटने का कार्य किया जाता है, अभिप्रेत है ;

(ण) "अनुसूची" से इस आदेश के साथ संलग्न सूची अभिप्रेत है ;

(त) "विनिर्दिष्टि" से धान और चावल के लिए विहित भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विनिर्दिष्टियां अभिप्रेत है।

उत्पादित या स्टॉक में रखे चावल का उद्ग्रहण

3. (1) प्रत्येक मिल वाला, विनिर्दिष्टियों के अनुरूप प्रत्येक किस्म के ऐसे चावल का 75 प्रतिशत, सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को इस आदेश के प्रारम्भ के दिनांक से प्रतिदिन और ऐसे समय तक, जब तक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, राज्य सरकार को अधिसूचित मूल्य पर बेचेगा और उसे देगा, जो–

(क) इस आदेश के प्रारम्भ के दिनांक को उसके स्टॉक में हो और उस पर उसका स्वामित्व हो,

(ख) उसके स्वामित्व में रखे गये धान के स्टॉक में से प्रत्येक दिन उसके द्वारा कूटा गया हो,

(ग) उसके द्वारा सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को ऐसा चावल बेचा या दिया नहीं गया हो, जो क्रय किया गया हो या बिक्री के लिए या कमीशन के आधार पर उसके माध्यम से या किसी अन्य रीति से निस्तारण के लिए उसकी अभिरक्षा या कब्जे में आया हो।

(2) सरकार को बेचे जाने वाले चावल का सम्पदान शत प्रतिशत 50 कि0ग्रा0 की पैकिंग में होगा।

उद्ग्रहण चावल विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा

4. खण्ड 3 के अधीन राज्य सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को बेचे जाने के लिए अपेक्षित चावल, उचित औसत किस्म के चावल की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होगा, जिस सरकार द्वारा उस सम्बन्धित किस्म के चावल के लिए अधिसूचित किया गया हो और उसमें सरकारी अधिसूचना में दिखाई गयी अस्वीकार की सीमा से अधिक अपवर्तन नहीं होंगे और यदि बिक्री के लिए प्रस्तुत चावल का स्टॉक ऐसी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप न हो तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत

करने से पूर्व, यथास्थिति, मिल वाले द्वारा उसका अनुकूलन या परिशोधन किया जायेगा या अन्यथा विनिर्दिष्टियों के अनुरूप लाया जायेगा।

धान के निस्तारण पर निर्बन्धन

5. धान का स्टॉक बिना कुटाई के 90 दिन से अधिक नही रहेगा;

परन्तु, यह कि खरीफ विपणन सत्र के अन्त में धान बिना कुटाई के नहीं रहेगा;

परन्तु, यह और कि बिना कुटाई के धान का निस्तारण मिल वाले के द्वारा नहीं किया जायेगा।

विहित प्रतिशत राज्य सरकार को बेचे बिना चावल के निस्तारण पर निर्बन्धन

6. (1) कोई भी मिल वाला चावल के स्टॉक को उस समय तक न तो बेचेगा, न किसी अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करेगा और न किसी विशिष्ट स्थान (लोकेलिटी) में अपने सामान्य व्यापार स्थान या भण्डारण स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान को उसे हटायेगा जब तक कि उसने सरकार या भारतीय खाद्य निगम को खण्ड 3 के अधीन चावल का विहित प्रतिशत बेच न दिया हो और उसके प्रतीक स्वरूप केन्द्र प्रभारी/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा जारी किया गया मोचन प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) उपखण्ड (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई चावल मिल वाला, उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट मोचन प्रमाण पत्र के अनुसार के सिवाय, चावल मिल के परिसर या स्वयं के गोदाम या उसके अधीन चावल मिल से बिक्री के लिए चावल का परिवहन नहीं करेगा;

परन्तु यह कि यदि चावल के किसी लाट अथवा उसका भाग, जिसके सम्बन्ध में उपर्युक्त मोचन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो, सड़क द्वारा ले जाया जाय तो ऐसे चावल को ले जाने वाले वाहन का ड्राइवर या प्रभारी व्यक्ति सम्प्रेषण के स्थान पर अधिकारितायुक्त वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक से एक प्रमाण पत्र ले जायेगा, जिसमें यह इंगित किया जायेगा कि ले जाया गया चावल मोचित लाट का भाग है। इस प्रमाण पत्र में उस व्यापारी/मिल वाले का नाम और पता, जिसके पक्ष में चावल मोचित किया गया हो और मोचन प्रमाण पत्र जारी करने का दिनाँक और संख्या और उस मोचन प्रमाण पत्र के अधीन मोचित चावल की श्रेणी और परिमाण भी उल्लिखित किया जायेगा।

चावल की खरीद या उसे स्वीकार किया जाना

7. नियन्त्रक या उसका नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जैसी भी स्थिति

हो–

(क) किसी मिल वाले से चावल खरीदेगा, यदि वह अधिसूचित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हो,

(ख) राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार खण्ड 3 के अधीन बेचे जाने के लिए देय चावल के लिए निम्नलिखित स्वीकार कर सकता है:–

(एक) अरवा चावल के बदले उसी किस्म का सेला चावल,

(दो) देय अधिग्रहण से अधिक चावल भी, यदि स्वेच्छा से दिया जाय, और

(ग) ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जैसा मिल वाले की ओर से खण्ड 3 के अधीन बेचे गये चावल की मात्रा का परिदान लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जायं, उसको एक रसीद देगा, जिसमें उसके द्वारा परिदान किये गये चावल की मात्रा और किस्म और उसका परिदान लेने का दिनाँक विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

चावल के परिदान की रीति

8. प्रत्येक मिल वाला, जिससे इस आदेश के अधीन उद्ग्रहण देय हो, नियन्त्रक या उसके नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को बेचने के लिए अपेक्षित चावल का स्टॉक ऐसे लाट में, ऐसी रीति से, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर देगा जैसा नियन्त्रक या उसका नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति या भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निदेश दे।

धान से चावल प्राप्त करना

9. तत्समान किस्म के धान, अर्थात साधारण (कॉमन) और ग्रेड–ए, से प्राप्त किये गये चावल का प्रतिशत, अरवा चावल के लिये 67 प्रतिशत तथा सेला चावल के लिये 68 प्रतिशत समझा जायेगा और खण्ड 3 के अधीन देय उद्ग्रहण का परिमाण तद्नुसार परिगणित किया जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, लोकहित में किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में या धान की किसी किस्म या श्रेणी के सम्बन्ध में प्राप्ति का प्रतिशत घटा सकती है ;

परन्तु यह और कि यदि किसी मिल में वास्तविक प्राप्ति, समझी गयी प्राप्ति के प्रतिशत से अधिक है तो उद्ग्रहण केवल समझी गयी प्राप्ति के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा न कि वास्तविक प्राप्ति पर।

उद्ग्रहण में छूट

10. खण्ड 3 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी चावल मिल में, जो अपतुषक प्रकार की हो, और जिसमें एक से अधिक अपतुषक न हों–

(क) किसी कृषक द्वारा स्वयं उत्पादित धान में से और/या,

(ख) किसी भूमिहीन कृषि मजदूर द्वारा,

एक कलेण्डर मास में अधिकतम दो कुंटल के अधीन रहते हुए एक बार में पचास किलोग्राम के परिमाण तक धान को कूट कर प्राप्त किये गये चावल पर कोई उदग्रहण नहीं किया जायेगा।

शुल्क पर कुटाई के लिए अनुज्ञा पत्र

11. कोई चावल मिल वाला **अनुसूची–3** में दिये गये प्रपत्र में नियन्त्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्र के अधीन/अनुसार के सिवाय, धान की शुल्क पर कुटाई का कार्य नहीं करेगा।

सीमान्त क्षेत्र में चावल और धान के संचालन पर निर्बन्धन

12. राज्य सरकार या सम्भागीय खाद्य नियंत्रक या सम्बद्ध सीमान्त क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट द्वरा इस निमित्त जारी किये गये अनुज्ञा–पत्र के अधीन/अनुसार के सिवाय–

(क) सीमान्त क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से सीमान्त क्षेत्र में किसी स्थान को, या

(ख) सीमान्त क्षेत्र में किसी स्थान से सीमान्त क्षेत्र में किसी अन्य स्थान को –

कोई व्यक्ति धान/चावल का न तो संचालन करेगा, न संचालन करने का प्रयास करेगा और न संचालन के लिए दुष्प्रेरित करेगा;

परन्तु इसमें दी गयी कोई बात––

(एक) सरकारी लेखे पर या भारतीय खाद्य निगम द्वारा या उसकी ओर से, या,

(दो) सैन्य जमा पत्र (मिलिट्री क्रेडिट नोट) के अधीन/अनुसार, या

(तीन) सीमान्त क्षेत्र में एक ही नगर या ग्राम में,

ऐसे संचालन पर लागू नहीं होगी।

मूल्य और विनिर्दिष्टियाँ

13. उदग्रहण के रूप में परिदत्त चावल के स्टॉक के लिए भुगतान, सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली विनिर्दिष्टियों के अनुसार अधिसूचित मूल्य पर किया जायेगा।

14. (1) निर्दिष्ट अधिसूचित मूल्य उस प्रकार से उचित औसत किस्म के चावल के लिए है, जो खण्ड 13 के अधीन अधिसूचित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हों और उक्त किस्म से घटिया चावल के सम्बन्ध में मूल्य विनिर्दिष्टियों में विनिर्दिष्ट कटौतियों के अधीन होंगे।

(2) यदि विक्रय के लिए प्रस्तुत चावल में निम्न किस्म का मिश्रण, विनिर्दिष्टियों में उस विशिष्ट किस्म के

चावल के लिए उल्लिखित अस्वीकार की सीमा से अधिक हो तो नियन्त्रक या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सम्बद्ध चावल मिल वाले को ऐसे चावल या धान में से ऐसे मिश्रण को हटाकर उसे विनिर्दिष्टियों के अनुरूप बनाने के लिए निदेश दे सकता है :

परन्तु यह कि यदि विक्रय के लिए प्रस्तुत चावल, जो **अनुसूची–4** में वर्गीकृत है, में से किसी ऐसे किस्म के चावल का मिश्रण जैसे ग्रेड–ए किस्म में साधारण (कॉमन) चावल उस विशिष्ट किस्म के चावल के लिए विनिर्दिष्टि में दी गयी अस्वीकार की सीमा से अधिक हो तो नियन्त्रक या उसका नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति इस आदेश के प्रयोजन के लिए इस किस्म के चावल को, जिसका मिश्रण सबसे अधिक है, निम्न किस्म का मान सकता है और वहाँ ऐसे चावल के लिए उसे निम्न किस्म का मूल्य देय होगा।

(3) (एक) उद्ग्रहण में परिदत्त चावल के चार नमूने लिये जायेंगे, उन्हें मुहरबन्द किया जायेगा और चावल मिल वाले या उसके प्रतिनिधि और नियन्त्रक या उसके प्रतिनिधि द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। एक नमूना चावल मिल वाले या उसके प्रतिनिधि को दे दिया जायेगा और दो नमूने सम्भागीय प्रयोगशाला को भेज दिये जायेंगे। नियन्त्रक या उसका प्रतिनिधि, शेष नमूने के चावल का, मिल वाला या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, विश्लेषण करेगा और तद्नुसार अधिसूचित मूल्य पर भुगतान करेगा।

(दो) यदि किये गये विश्लेषण के परिणाम से चावल मिल वाला संतुष्ट न हो तो वह उसके पुनः विश्लेषण के लिए उस व्यक्ति के पास तीन दिन के भीतर लिखित रूप में आपत्ति प्रस्तुत करेगा, जिसने विश्लेषण किया हो :

परन्तु नमी होने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(तीन) उपर्युक्त उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट आपत्ति को तीन दिन के भीतर सम्भागीय प्रयोगशाला के प्रभारी को भेजा जायेगा। सम्भागीय प्रयोगशाला का प्रभारी ऐसी आपत्ति के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर विश्लेषण के लिए कोई दिनाँक निश्चित करेगा और सम्बन्धित चावल मिल वाले को विश्लेषण के समय उपस्थित रहने की सूचना देगा। निश्चित दिनाँक को प्रभारी, सम्भागीय प्रयोगशाला द्वारा सम्भागीय प्रयोगशाला में नमूने का विश्लेषण किया जायेगा ।

(चार) यदि चावल मिल वाला सम्भागीय प्रयोगशाला में किये गये विश्लेषण के परिणाम से सन्तुष्ट न हो तो वह ऐसे विश्लेषण के तीन दिन के भीतर, केन्द्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण किये जाने के लिए सम्भागीय खाद्य नियत्रंक को अभ्यावेदन कर सकता है। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक ऐसे अभ्यावेदन को तीसरे मुहरबंद नमूने के साथ प्रभारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को अग्रसारित करेगा। प्रभारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक से अभ्यावेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, नमूने के विश्लेषण के लिए कोई दिनाँक निश्चित करेगा और सम्बन्धित चावल मिल वाले को दिये गये मुहरबन्द नमूने के साथ विश्लेषण के समय उपस्थित होने का निर्देश देगा। प्रभारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अग्रसारित मुहरबंद नमूने का विश्लेषण निश्चित दिनाँक पर किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा। मिल वाले के पास उपलब्ध चौथा मुहरबंद नमूना इस प्रयोजनार्थ नियंत्रण नमूने के रूप में प्रभारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा खोला जा सकेगा।

(पाँच) यथास्थिति, सम्भागीय/केन्द्रीय प्रयोगशाला के अन्तिम विश्लेषण के परिणाम के अनुसार मूल्य में आवश्यक समायोजन किया जायेगा।

धान को चावल में परिवर्तित करने के लिए धान मिल को निदेश देने की शक्ति

15. राज्य सरकार अपने या अपने अभिकरणों द्वारा धृत धान के किसी स्टॉक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, चावल में परिवर्तित करने के लिए किसी चावल मिल को निदेश दे सकती है ;

परन्तु यह कि 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले किसी एक विपणन (खरीफ) काल के दौरान राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा किसी चावल मिल को दी जाने वाली धान की मात्रा, वार्षिक लाइसेंस प्राप्त कुटाई की क्षमता के, जिसकी गणना 300 कार्य दिवस के औसत पर की जायेगी, चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

चावल मिल के स्टॉक का नियतकालिक निरीक्षण

16. निरीक्षक पद से अन्यून खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग का अधिकारी, चावल मिल में धान एवम् चावल के स्टॉक का नियतकालिक, जो कि सप्ताह में एक बार से कम न हो, सत्यापन करेगा और अपना निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए प्रमाण पत्र मिल वालों को देगा और उसकी एक प्रति नियंत्रक को भी देगा।

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्ति

17. (1) प्रर्वतन अधिकारी, इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के लिए, कि इस आदेश का अनुपालन हो गया है–

(क) किसी बही या दस्तावेज या लेखा का और किसी मिल वाले या उसके नियन्त्रणाधीन चावल या धान के किसी स्टॉक का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है ,

(ख) चावल या धान के क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु भण्डारण के लिए चावल के उत्पादन या विनिर्माण के किसी कार्य या कारोबार के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से अपने कब्जे/उसके पास की कोई सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है,

(ग) ऐसे साधन या सहायता से, जो आवश्यक हो, मिल वाले या व्यापारी की मिल या अन्य भू–गृहादि/परिसरों से, जहाँ से उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वहाँ चावल या धान का संग्रह किया जाता है, चावल या धान का परिदान करने के लिए प्रयुक्त या प्रयोग किये जाने के लिए समझे गये किसी व्यक्ति या गाड़ी या पात्र या पशु को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है,

(घ) ऐसे साधन या सहायता से, जो आवश्यक हो, ऐसी मिल या अन्य भू–गृहादि/परिसरों में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है,

(ङ) ऐसे साधन या सहायता से, जो आवश्यक हो,–

(एक) चावल या धान के किसी स्टॉक को, जिसके या जिसके भाग के सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लघंन हुआ है या हो रहा है या उल्लघंन किया जाने वाला है,

(दो) किसी पैकेज, आवरण या आधान को, जिसमें ऐसे चावल या धान का स्टॉक पाया जाय, और

(तीन) ऐसे धान या चावल के स्टॉक को ले जाने में प्रयुक्त किसी पशु, गाड़ी, पात्र या अन्य वाहन को; अभिगृहीत कर सकता है और उसे हटा सकता है यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे पशु, गाडी, पात्र या अन्य वाहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन समपहृत किया जा सकता है और तत्पश्चात बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के, उक्त अधिनियम की धारा 6 (क) के उपबन्धों के अधीन

कलैक्टर को रिपोर्ट कर सकता है, और

(च) किसी लेखा–बही या दस्तावेज को अधिगृहीत कर सकता है और उसे हटा सकता है जो उसकी राय में, इस आदेश के किसी उल्लघंन से सम्बन्धित किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो और ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा–बही या दस्तावेज अभिगृहीत किया जाय, अपनी उपस्थिति में उसकी प्रतियाँ बनाने या उससे उद्धरण लेने की अनुमति दे सकता है।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन 1974) की धारा 100 के उपबन्ध, यथासम्भव, इस खण्ड के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने पर लागू होंगे।

लेखा का अनुरक्षण

18. प्रत्येक मिल वाला ऐसे अभिलेख रखेगा और ऐसी नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा नियन्त्रक या उसका नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति समय–समय पर निदेश दे।

अपील

19. (1) नियन्त्रक या उसके नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति के द्वारा उद्ग्रहण की मात्रा निर्धारित करने के आदेश से व्यथित कोई मिल वाला या अन्य व्यक्ति, ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनाँक से सात दिन के भीतर, उस क्षेत्र में, जिसमें मिल वाले की मिल स्थित हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले मण्डलीय आयुक्त, को अपील कर सकता है ।

(2) मण्डलीय आयुक्त, इस प्रकार प्रस्तुत अपील की सुनवाई के लिए दिनाँक, समय और स्थान निर्धारित करेगा और समय–समय पर सुनवाई को स्थगित कर सकता है।

(3) मण्डलीय आयुक्त, अपील में उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गयी हो, पुष्टि कर सकता है या उसे अपास्त कर सकता है या उक्त आदेश के अधीन बेची जाने वाली चावल की मात्रा को कम कर सकता है या उसे बढा सकता है।

(4) मण्डलीय आयुक्त, अपील में दिये गये आदेश की लिखित सूचना अपीलार्थी को और सम्बन्धित नियंत्रक को भी भेजेगा।

(5) ऐसी अपील पर मण्डलीय आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

आदेश का पालन करने का कर्त्तव्य

20. प्रत्येक मिल वाला, जिसे इस आदेश के द्वारा/अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन कोई आदेश या निदेश दिया जाय, ऐसे आदेश या निदेश का पालन करेगा।

छूट देने की शक्ति

21. (1) केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से, राज्य सरकार–

(क) लोकहित में, उद्ग्रहण के प्रतिशत को घटा या बढ़ा सकती है,

(ख) लोकहित में, किसी क्षेत्र को उद्ग्रहण से छूट दे सकती है या उद्ग्रहण के प्रतिशत को कम कर सकती है,

(ग) लोकहित में, किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की चावल मिल के सम्बन्ध में उद्ग्रहण का प्रतिशत कम कर सकती है, और

(घ) किसी किस्म के धान और चावल को उद्ग्रहण से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(2) खाद्य आयुक्त ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, धान या चावल के किसी लाट को उद्ग्रहण से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकता है, यदि सम्पूर्ण स्टाक का या उसका कोई भाग संग्रह के लिए अनुपयुक्त हो या सस्ते गल्ले की दुकानों से बेचने के लिए अनुपयुक्त हो ।

(3) खाद्य आयुक्त ऐसे उद्ग्रहण की वसूली को, जो इस आदेश के अधीन सरकार को बेचा जाना हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो आरोपित की जायं, छः मास की अवधि तक स्थगित कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि उद्ग्रहण के रूप में देय धान या चावल अधिसूचित विनिर्दिष्टियों के अर्न्तगत नहीं लाया जा सकता।

(4) नियन्त्रक, ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे चावल का उद्ग्रहण किया जाना हो, उद्ग्रहण के सम्बन्ध में देय किस्म से भिन्न क़िस्म का चावल या धान राज्य सरकार को बेचने की अनुज्ञा दे सकता है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

22. राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं हैं या अपर्याप्त उपबन्ध है, पूरक उपबन्ध बना सकती है या ऐसा अन्य उपबन्ध बना सकती है, जिसे वह किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ उचित समझे।

आज्ञा से,

(डा० रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या/1547(1)/08–XIX–2/13 खाद्य/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
2– प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल ।
3– सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री जी।

4– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5– सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– अवर सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 6(यूए)/07/03–पीवाई 3 दिनांक 16.06.2008 के सन्दर्भ में।
7– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमॉयू मण्डल ।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– आयुक्त/अपर आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
10– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
11– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड।
12– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
13– क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
14– क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड।
15– क्षेत्रीय प्रबन्धक , राज्य भण्डारण निगम, उ0प्र0, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
16– सम्भागीय विपणन अधिकारी, गढवाल/कुमाँयू सम्भाग ।
17– निजी सचिव, माननीय खाद्य मन्त्री जी ।
18– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय लिथो प्रेस, रूड़की को अंग्रेजी प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को जारी होने के दिनांक से विधायी परिशिष्ट भाग–4 (खण्ड–ख) में प्रकाशित करते हुए हिन्दी व अंग्रेजी की 100–100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19–उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंह नगर/हल्द्वानी /पौडी गढवाल।
20– सम्भागीय वित्त अधिकारी, गढवाल/कुमाँयू सम्भाग ।
21– एनआईसी, उत्तराखण्ड।
22– गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(कुवर सिंह)
अपर सचिव।

अनुसूची–एक
(खण्ड 2 का उपखण्ड (ढ) देखिए)

मोचन प्रमाण–पत्र

संख्या .....

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री* / मैसर्स* ..... (मिल वाला* / व्यापारी*) संख्या .....), से निम्नलिखित चावल* / धान* के स्टाक पर देय उद्ग्रहण वसूल कर लिया गया है और तदनुसार स्तम्भ–5 में निर्दिष्ट चावल* / धान* की मात्रा उसके* / उनके* द्वारा निस्तारण के लिए मोचित की जाती है :–

ग्रेड	किस्म का नाम	कुल मात्रा (कुंटल में)	सम्प्रदान की गयी मात्रा (कुंटल में)	उद्ग्रहण मुक्त मात्रा (कुंटल में)
1	2	3	4	5

दिनाँक :
स्थान :

नियंत्रक / प्राधिकृत अधिकारी @

@ पदनाम अंकित करें।
* जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

अनुसूची–दो
(खण्ड 2 का उपखण्ड (ढ) देखिए)

मोचन प्रमाण–पत्र के प्रार्थना पत्र का प्रारूप

सेवा में,

नियंत्रक / प्राधिकृत अधिकारी@

.....

.....

महोदय,

उत्तराखण्ड चावल मिल्स (नियंत्रण और उद्ग्रहण) आदेश, 2008 के खण्ड (3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मैंने* / हमने* ..... कुंटल चावल / धान का सम्प्रदान ..... (खरीद अधिकारी) को कर दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे* / हमारे*, धान / चावल के उद्ग्रहण मुक्त भाग के निरतारण हेतु मुझे / हमें मोचन प्रमाण–पत्र निर्गत करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

संलग्नक :– खरीद अधिकारी द्वारा
जारी की गयी रसीद
मूल रूप में।

मिल वाला / व्यापारी / एजेन्ट।

@ पदनाम अंकित करें।
* जो लागू न हो उसे काट दीजिये।

अनुसूची–तीन
(खण्ड 11 देखिए)

सार्वजनिक लेखा पर धान की शुल्क पर कुटाई करने के लिए अनुज्ञा प्रपत्र

संख्या .....

श्री / सर्वश्री ..... (चावल मिल का नाम) को एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, सार्वजनिक लेखा पर धान की शुल्क पर कुटाई करने के लिए अनुज्ञा दी जाती है :–

(1) वह शुल्क पर कुटाई के लिए प्राप्त धान का सत्य और सही लेखा पृथक रूप से रखेगा, जिसमें उस व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और पूरा पता जिससे (जिनसे) ऐसा धान प्राप्त किया जाय, खाद्यान्न व्यापारी की लाइसेंस संख्या (यदि ग्राहक व्यापारी हो) और कूटे गये धान और उससे विनिर्मित चावल की मात्रा इंगित की जायेगी।

(2) वह उपर्युक्त शर्त (1) में उल्लिखित लेखा की संक्षिप्ति प्रतिमास नियंत्रक / प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) यह अनुज्ञा–पत्र उत्तराखण्ड चावल मिल्स (नियंत्रण और उद्ग्रहण) आदेश, 2008 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने की दशा में निरसित किया जा सकेगा।

ह0
नियंत्रक / प्राधिकृत अधिकारी।

अनुसूची–चार
(खण्ड 14 का उपखण्ड (2) देखिए)

धान और चावल का वर्गीकरण

क्र0सं0	किस्म का वर्गीकरण	विवरण
1	साधारण (कॉमन)	लम्बाई / चौड़ाई का अनुपात 2.5 से कम।
2	ग्रेड–ए	लम्बाई / चौड़ाई का अनुपात 2.5 और इससे अधिक

विभिन्न वर्गीकरणों के अधीन धान और चावल की किस्में

क्र0सं0	किस्म का नाम	लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात
सुवासित किस्म का धान / चावल -		
1	हंसराज	3.9
2	बासमती	3.4
3	काला नमक	2.66
4	शक्कर चीनी	2.5
5	बादशाह पसन्द	2.5
ग्रेड–ए किस्म का धान / चावल -		
1	झिलमा	3.09
2	रामुनिया	3.3
3	राम भोग	3.07
4	राम अजवाइन	3.3
5	सम्भालू	3.3
6	कृष्ण भोग	3.1
7	जूही बंगाल	3.0
8	टाइप–9	3.5
9	लकरा	3.34
10	लालमती	3.66
11	मूँगफली	3.11
12	साकेत सं0–4	3.42
13	रत्ना	3.12
14	आई0आर0–24	3.1
15	अंजी	2.8
16	गौरिया	2.8
17	लटेरा	2.7
18	श्याम जीरा	2.83
19	तिलक चन्दन	2.5
20	अन्जना	2.61

क्र0सं0	किस्म का नाम	लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात
21	बाबा	2.78
22	बलरा	2.65
23	बिजरी	2.7
24	देदाई	2.61
25	गजराज	2.71
26	लांगी	2.75
27	लकरा	2.90
28	लुचई	2.73
29	मोथा	2.82
30	टाइप–21	2.76
31	लेजुरा	2.5
32	भैंसलोट	2.7
33	धोलू	2.9
34	नगीना	2.6
35	बंगलिया	2.6
36	रूपा	2.8
37	सफेदा	2.8
38	कटीला	2.9
39	मुस्किन	2.8
40	लौंग चूर	2.7
41	झिलोर	2.7
42	छोटा लकरा	2.9
43	मसूरी	2.74
44	दिघवा	2.61
साधारण किस्म का धान / चावल -		
1	चीना–4	2.13
2	गदरा	2.4
3	रामकौरनी	2.3
4	साठी	2.4
5	सोधी	1.87
6	सिलहट	2.3
7	जबदी	2.41
8	मन्सरा	2.4
9	बादली	2.4
10	ताईचुंग नेटिव–1	2.3

क्र0सं0	किस्म का नाम	लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात
11	सारो	2.3
12	लुढ़कन	2.1
13	पहारन	2.3
14	छोटा चिनवर	2.46
15	मेमरति	2.2
16	जोरधन	2.2
17	भदाई	2.4
18	करांजी	2.0
19	कप्पर	2.2
20	सुगरी	2.07
21	दुधई	2.1
22	बंकी	2.0
23	बराटी	1.9
24	तुलसीराम	2.0
25	बरमा	2.04
26	जया	2.36
27	फार्म बजरी	2.10
28	पाधानी	2.30
29	मुतरी	1.92
30	आई0आर0–8	2.44
31	आदम चीनी	2.16
32	जीरा वत्ती	2.20

आज्ञा से,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव।